न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई आर.ए.एस.

रसद विविध :: 280/2018 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/00385 ::

प्रार्थी :— बनाम अप्रार्थी:—

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, रानी

तुलसीराम पुत्र सोनाराम निवासी माताजी नगर, सोजत रोड हाल मालिक मै. लक्ष्मी इस्पात ट्रेडर्स, नेहरू पार्क के पास, सोजत रोड़, पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :— प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक : 31/12/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनकी फर्म मै. लक्ष्मी इस्पात ट्रैडर्स, नेहरू पार्क के पास, सोजत रोड जिला पाली (राज.) वक्त निरीक्षण दिनांक 10.07.2018 को मौके पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 15.800 किग्रा एवं 10.800 किग्रा गैस भरी हुई का अवैध संग्रहण किए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.07.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु हमराह जिला रसद अधिकारी श्री प्रमोद सीरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) के साथ सोजत रोड स्थित मै. लक्ष्मी इस्पात ट्रैडर्स, नेहरू पार्क के पास, सोजत रोड जिला पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री तुलसीराम पुत्र सोनाराम उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही फर्म का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री श्यामगिरी पुत्र छोटु गिरी निवासी 127, गुर्जरों का बास, देवली हुल्ला, सोजत व बाबुलाल पुत्र गोकुलराम निवासी देवासियों का बास, सियाट तहसील सोजत के प्रतिष्ठान की जांच करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 15.800 किग्रा एवं 10.800 किग्रा गैस भरी पाया गया। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर भरे हुए घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स सोजत गैस सर्विस के मैनेजर से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री पदमचंद टांक पुत्र सोहनलाल टांक निवासी धोलीवाडी के पास, सोजत सिटी हाल मैनेजर मैसर्स सोजत सिटी को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी ने जवाब में उल्लेख किया कि अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग ले रहा था, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं थी कि घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक रूप में नहीं ले सकते है। लेकिन अब उसने व्यावसायिक गैस कनेक्शन ले लिया है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जब्त सुदा सिलेण्डर को रिलीज फरमावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी के जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 15.800 किग्रा एवं 10.800 किग्रा गैस से भरा हुआ उनके व्यावसायिक परिसर मैसर्स लक्ष्मी इस्पात ट्रैडर्स, नेहरू पार्क के पास, सोजत रोड, जिला पाली (राज.) में पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा अप्रार्थी स्वयं ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उसके प्रतिष्ठान से प्राप्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वो गैस भरवाने हेतु ही कर रहा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी घेरलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर रहा था। जब्तसुदा सिलेण्डर में से एक पूर्ण भरा हुआ तथा दुसरे में 10.800 किग्रा गैस भरी हुई थी, सिलेण्डर खाली नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर उसके घरेलू उपयोग का नहीं है तथा अप्रार्थी उसका उपयोग अपने प्रतिष्ठान में करता था। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री तुलसीराम द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डर को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण किए जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.2 किग्रा) आइओसीएल कम्पनी के जिनमें क्रमशः 15.800 किग्रा एवं 10.800 किग्रा गैस भरी हुई पायी गयी को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर उससे प्राप्त राशि को राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति जिला कलेक्टर, पाली